जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 01.06.2024

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–

पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत गाई बसन्तपुर से इवेन्ट संख्या 42775 से कालर द्वारा मारपीट / विवाद में घायल 04 व्यक्तियों (**01-कुन्दन पुत्र सिकन्दर, 02- अर्जुन चौरसिया पुत्र जगतपाल 03-सीमा पत्नी जगतपाल 04- अनिता पत्नी विकेन्द्र ग्राम बसंतपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर)** के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 शुभम सिंह यादव, का0 पंकज यादव, हो0चा0 मेजर यादव।**

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 61 वाहनों से 61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 61 वाहनों से 61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.06.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के 01 अभियुक्त को 05 माह 20 दिवस के सश्रम कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन"* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन शिकंजा"* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज 01.06.2024 को *न्यायालय – सी0जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 419/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता विश्वजीत पुत्र प्रेमचन्द निवासी ठठेरा मोहल्ला कस्बा बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 8/22 एनडीपीएस के तहत 05 माह 20 दिवस के सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 05 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।